राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला–171006 के छात्र निधि लेखा अवधि 4/2005 से 3/2012 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर पाया गया कि अत्यधिक अंकेक्षण आपतियॉ निपटारे हेतु दीर्धकाल से शेष पड़ी हुई है तथा महाविद्यालय द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही निपटारे हेतु नहीं की जा रही है। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही न करना अंकेक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता तथा लेखों में आपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सकता तथा संस्था की कार्य प्रणाली को भी सुदृढ़ नहीं करता। पाई गई गम्भीर चूक हेतु स्थिति स्पष्ट की जाए व दीर्धकाल से लम्बित चली आ रही अंकेक्षण आपतियों के पूर्ण निपटारे हेतु ठोस प्रयास किये जाए।

अनिर्णीत अंकेक्षण आपतियों के निपटारे हेतु ध्यान न दिये जाने से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार व निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है। अनिर्णीत अंकेक्षण आपतियों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/69 से 6/76

पैरा–2	अनिर्णीत
पैरा–3	अनिर्णीत
पैरा–4	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–7 (ए से सी)	अनिर्णीत
पैरा–8	अनिर्णीत
पैरा–9	अनिर्णीत
पैरा–10	अनिर्णीत
पैरा–11	अनिर्णीत
पैरा–12	अनिर्णीत
पैरा–13	अनिर्णीत
पैरा–14	अनिर्णीत

पैरा–15	अनिर्णीत
पैरा–16	अनिर्णीत
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–21	अनिर्णीत

<u>(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/76 से 10/80</u>

पैरा–4 (ए)	अनिर्णीत
पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
मद सं0 3, 4, 8 से 9 11 से 18 व 20	अनिर्णीत
पैरा–4 (डी, एफ, जी, एल, एम)	अनिर्णीत
पैरा–4 (पी, बी)	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6 (ए से बी)	अनिर्णीत
पैरा–7	अनिर्णीत
पैरा–8 (बी)	अनिर्णीत
पैरा–12	अनिर्णीत
पैरा–15	अनिर्णीत
पैरा–18	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत

<u>(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 11/80 से 3/84</u>

पैरा–4 (बी और सी)	अनिर्णीत
पैरा–5 (डी, ई, एफ)	अनिर्णीत
पैरा–7	अनिर्णीत
पैरा–8	अनिर्णीत
पैरा–10	अनिर्णीत

पैरा–13 (मद संख्या 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 19, 20, 22, 25 से 33)	अनिर्णीत
पैरा–13 (40)	अनिर्णीत
पैरा–13 (42 से 45) व 47, 49 से 51	अनिर्णीत
पैरा–4 मद सं0 ए, बी, सी, डी, एफ, जे, के, एम, एन, पी, एस व टी	अनिर्णीत

<u>(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/87</u>

पैरा–4 (बी, सी)	अनिर्णीत
पैरा–4 (ई–3)	अनिर्णीत
पैरा–4 (एफ, एच)	अनिर्णीत
पैरा–6 (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ए, सी)	अनिर्णीत
पैरा–8 (ए व बी)	अनिर्णीत
पैरा–9 (डी परिशिष्ट बी के मद सं0 33, 35, 38 व 44)	अनिर्णीत
पैरा–10 (ए)	अनिर्णीत
पैरा–11 (मद सं0 1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–12 (मद सं0 1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–13	अनिर्णीत
पैरा–16	अनिर्णीत
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत

<u>(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90</u>

पैरा–4	अनिर्णीत
पैरा–5 (ए, बी)	अनिर्णीत
पैरा–5 (सी) मद सं0 1 से 29, 31, 32, 34 से 46 तक	अनिर्णीत
पैरा–5 (डी) (1)	अनिर्णीत
पैरा–5 (ई व एफ)	अनिर्णीत

पैरा—6 (ए) मद सं0 2 से 5, 8 से 14)	अनिर्णीत
पैरा—6 (बी, सी, डी, एफ, जी)	अनिर्णीत
पैरा—7	अनिर्णीत
पैरा—8	अनिर्णीत
पैरा—9	अनिर्णीत
पैरा—10	अनिर्णीत
पैरा—11	अनिर्णीत
पैरा—12	अनिर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
पैरा—14	अनिर्णीत
पैरा—15	अनिर्णीत
पैरा—16 (ए, बी, डी, एफ)	अनिर्णीत
पैरा—17	अनिर्णीत
पैरा—18	अनिर्णीत
पैरा—19	अनिर्णीत
पैरा—20	अनिर्णीत
पैरा—21	अनिर्णीत
पैरा—22	अनिर्णीत

<u>(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/93</u>

पैरा—4 (1 से 8)	अनिर्णीत
पैरा—6 (परिशिष्ट "ख" में दर्शाए गए क्र0 सं0 1 से 33, 37, 50 से 53, 60, 68 से 85, 94 से 95, 99, 109 से 111, 115 से 129, 131 से 135)	अनिर्णीत
पैरा—7	अनिर्णीत
पैरा—8 (1 व 2)	अनिर्णीत
पैरा—9 (1 व 2)	अनिर्णीत
पैरा—9 (3) (क)	आंशिक तौर पर निर्णीत
पैरा—9 (3) (ख)	अनिर्णीत
पैरा—10 (1 से 3)	अनिर्णीत

पैरा–11 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–12 (1 से 2)	अनिर्णीत
पैरा–12 (3)	अनिर्णीत
पैरा–13 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–14	अनिर्णीत
पैरा–15 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–16 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18 (1 व 2)	अनिर्णीत
पैरा–19 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–21 (क) (1, 3, 4)	अनिर्णीत
पैरा–21 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–22 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24 (क व ख)	अनिर्णीत
पैरा–25 (1 व 2)	अनिर्णीत
पैरा–26 (1 से 4)	अनिर्णीत
पैरा–26 (5 व 6)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/96

पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7 (1 व 2)	अनिर्णीत
पैरा–8	अनिर्णीत
पैरा–12	अनिर्णीत
पैरा–13 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–14 (1 से 3)	अनिर्णीत
पैरा–15	अनिर्णीत

पैरा–16	अनिर्णीत
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत
पैरा–20	अनिर्णीत
पैरा–21	अनिर्णीत
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24	अनिर्णीत

<u>(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97</u>

पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6	अनिर्णीत
पैरा–7	अनिर्णीत
पैरा–8	अनिर्णीत
पैरा–9	अनिर्णीत
पैरा–10 (क से ग)	अनिर्णीत
पैरा–11 (क से घ)	अनिर्णीत
पैरा–12	अनिर्णीत
पैरा–13	अनिर्णीत

<u>(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/2001</u>

पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–7	अनिर्णीत
पैरा–8	अनिर्णीत
पैरा–10	अनिर्णीत
पैरा–15	अनिर्णीत
पैरा–16	अनिर्णीत

पैरा—17	अनिर्णीत
पैरा—18	अनिर्णीत
पैरा—19	अनिर्णीत
पैरा—21	अनिर्णीत
पैरा—22	अनिर्णीत
पैरा—24	अनिर्णीत
पैरा—25	अनिर्णीत
पैरा—26	अनिर्णीत
पैरा—27	अनिर्णीत
पैरा—30	अनिर्णीत
पैरा—36 (ग)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/05 तक

पैरा—2	निर्णीत
पैरा—3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क चैक सं0 243153 दिनांक 12.8.05 द्वारा जमा किया गया)
पैरा—4	अनिर्णीत
पैरा—5	निर्णीत (सावधि निवेश की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पैरा सं0 में दी गई)
पैरा—6 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा—7	अनिर्णीत
पैरा—8	अनिर्णीत
पैरा—9	अनिर्णीत
पैरा—10 (क)	अनिर्णीत
पैरा—10 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—11	अनिर्णीत
पैरा—12	अनिर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
पैरा—14	अनिर्णीत

पैरा–15	अनिर्णीत
पैरा–16	निर्णीत (सत्यापन उपरान्त पैरे का निर्णीत किया)
पैरा–17	अनिर्णीत
पैरा–18	अनिर्णीत
पैरा–19	अनिर्णीत
पैरा–20 (क)	अनिर्णीत
पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–20 (घ)	निर्णीत
पैरा–20 (ङ)	निर्णीत
पैरा–21	अनिर्णीत
पैरा–22	अनिर्णीत
पैरा–23	अनिर्णीत
पैरा–24	निर्णीत
पैरा–25 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा–26	अनिर्णीत
पैरा–27	अनिर्णीत
पैरा–28	अनिर्णीत
पैरा–29 (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा–29 (ग)	निर्णीत (सटिप्पण उत्तर अनुसार)
पैरा–30 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा–31	अनिर्णीत
पैरा–32	अनिर्णीत
पैरा–33	अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय, सन्जौली, शिमला–6 के लेखा अवधि 4/05 से 3/12 का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए है, श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.12 से 30.3.13 के दौरान महाविद्यालय में किया गया। विस्तृत जांच हेतु मास का चयन निम्न विवरणानुसार किया गया।

वर्ष	आय के लिए	व्यय के लिए
4/05 से 3/06	11/05	12/05
4/06 से 3/07	12/06	12/06
4/07 से 3/08	3/08	12/07
4/08 से 3/09	12/08	12/08
4/09 से 3/10	11/09	7/09
4/10 से 3/11	3/11	10/10
4/11 से 3/12	2/12	2/12

अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचना अथवा अपूर्ण सूचना हेतु अथवा किसी सूचना के उपलब्ध न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

महाविद्यालय के अवधि 4/05 से 3/12 के लेखों के अंकेक्षण शुल्क ₹49000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 के नाम रेखाकिंत ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से प्रेषित करने हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनांक 14.2.13 द्वारा

अनुरोध किया गया जोकि संस्था द्वारा चैक सं0 292289 दिनांक 28.2.13 द्वारा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 द्वारा भेज दी गई।

4 <u>वित्तीय स्थितिः–</u>

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/05 से 3/2012 तक की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** में दी गई है जिसका वर्षवार विस्तृत विवरण निधिवार **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है, बैंक के विभिन्न बचत खातों में जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट "क–1"** पर व **परिशिष्ट "क–2"** पर पाए गए अन्तर से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण को दर्शाया गया है। समस्त छात्र निधियों का प्रत्येक वर्ष के अन्त में पाए गए अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

दिनांक	अन्तशेष ₹ में
31.3.2006	19321704.19
31.3.2007	19541023.19
31.3.2008	20921751.94
31.3.2009	23033714.19
31.3.2010	25636610.24
31.3.2011	22332082.24
31.3.2012	17971362.24

(ख) विभिन्न छात्र निधियों की रोकड वहियों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही के प्रारम्भिक/अन्तशेष में सावधि की राशि सम्मिलित नहीं की गई पाई गई तथा सावधि राशि से होने वाले ब्याज की राशि को रोकड़ वही में न दर्शा कर सीधे सावधि निवेश में जोड़ दिया गया जबकि महाविद्यालय में लेखें सिंगल एंट्री सिस्टम से तैयार किये जाने को ध्यान में रखते हुए सावधि निवेश की राशि को अन्तशेष व प्रारम्भिक शेष में सम्मिलित करके दर्शाया जाना आपेक्षित था जिससे छात्र निधि लेखों की स्थिति स्वतः ही स्पष्ट होती। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सावधि निवेश की राशि को प्रारम्भिक शेष में जोड़ कर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि लेखों में अन्तशेष/जमा राशि की समय–2 पर स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके।

(ग) ₹117495/– के कालातीत बैंकों की पुनः प्रविष्टियॉ रोकड़ वही में न करनाः–

परिशिष्ट **"क–2"** पृष्ठ 1 से 4 तक में दर्शाए गए बैंक समाधान विवरणानुसार मिश्रित निधि से क्रमशः चैक संख्या 13679, चैक संख्या 580784 दिनांक 4.5.08 क्रमशः ₹4012/– ₹2007/– तथा चैक संख्या 580783 व चैक संख्या 580784 दिनांक 26.09.06 राशि ₹100/–प्रत्येक के तथा चैक सं0 243035, 243036 दिनांक 27.4.05 राशि ₹38 प्रत्येक के कुल राशि ₹6295/– तथा फाईन फण्ड से चैक संख्या 578829, 578840, 578858 तथा चैक संख्या 578859 माह 3/08 राशि क्रमशः ₹250/ ₹250/ ₹107902, तथा ₹2798/– कुल राशि (6295+111200)= ₹117495 के जारी किये गये थे जोकि 31.3.12 को कालातीत हो गए थे। महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित बैंक से इनके भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त न करके रोकड़ वही में इन्हें पुनः लेखाकिंत नहीं किया गया। ₹117975/– के कालातीत चैकों के समाधान हेतु आवश्यक उचित कार्यवाही नियमानुसार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व इन चैकों का लेखाकरण सम्बन्धित निधि की रोकड़ वही में किया जाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) रोकड़ वही में 31.3.11 के अन्तशेष तथा 1.4.11 के आरम्भिक शेर्षों में अन्तर का पाया जानाः–

विभिन्न छात्र निधियों की रोकड़ वहियों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 1.4.11 को रोकड़ वहियों में लिये आरम्भिक शेष तथा 1.3.11 के गत शेषों में अन्तर था जिसका विवरण **परिशिष्ट "क–3"** में संलग्न है। इस बारे लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 8 दिनांक 2.2.13 द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, संजौली को अवगत करवाते हुये इसका समाधान करने हेतु तथा वास्तविकता से लेखा परीक्षा को तीन दिन में अवगत करवाने को कहा गया लेकिन लेखा परीक्षा समाप्त होने तक इस से सम्बन्धित कोई भी स्पष्टीकरण संस्था द्वारा नहीं दिया गया। अनेक छात्र निधियों में कैश बुक के अन्तशेषों को बिना किसी कारण को स्पष्ट किये ही कम कर दिया गया। लाखों ₹ की राशि को रोकड़ वही में बिना स्थिति को स्पष्ट किये कम कर दिया जाना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। पाई गई त्रुटि को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के गबन/दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः छात्र निधियों की रोकड़ वहियों में आने वाले अन्तरों जिनका उल्लेख **परिशिष्ट**

"क–3" पर स्पष्टतयः किया गया है, का शीध्र समाधान करते हुऐ स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को अवगत करवाया जाये।

उपरोक्त वर्णित समस्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी आवश्यक उचित जॉच एवं कार्यवाही किए जाने हेतु विशेष रूप में लाया जाता है।

5 (क) सावधि निवेशः–

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियों से समय–2 पर सावधि योजना के अन्तर्गत राशियों का निवेश किया जा रहा था। उपलब्ध करवाये गये अभिलेखानुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में निम्न विवरणानुसार राशियॉ निवेशित पाई गई जिनका विवरण **परिशिष्ट "ख–1"** का पृष्ठ 1 से 2 में दिया गया है। निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवधि 2005–06 से 2011–12 तक के अन्त में सावधि लेखों में निम्न राशियां पाई गईः–

दिनांक	सावधि निवेश में निवेशित राशियां ₹ में
31.3.06	14028905.00
31.3.07	14128841.00
31.3.08	17578644.75
31.3.09	18244554.75
31.3.10	19310103.75
31.3.11	14851815.75
31.3.12	12637095.75

(ख) राशि ₹2530000/–के सावधि निवेश को यूको बैंक संजौली में किसी अन्य संस्था के नाम पाया जानाः–

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों से सावधि योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को0ओपरेटिव बैंक, दी माल, शिमला में राशि को निवेश किया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

एफ0डी0आर0 सं0	राशि (₹)	परिपकवता पर प्राप्त राशि (₹)	परिपकवता की तिथि	दर
438038557	1068174	1172378	03.7.11	7.50%
4380510664	1171056	1358685	03.7.11	7.50%

महाविद्यालय द्वारा उक्त दोनों एफ0डी0आर0 को परिपक्वता तिथि से पहले भुनाकर इन राशियों को यूको बैंक सन्जौली में जमा किया गया। दोनों एफ0डी0आर0 की राशि ₹2531063/– को हिमाचल प्रदेश को–ओपरेटिव बैंक, दी मॉल, शिमला द्वारा चैक सं0 178046 दिनांक 11.3.11 के अन्तर्गत सीधे मैनेजर यूकों बैंक संजौली को भेज दिया। यूकों बैंक संजौली द्वारा उक्त राशि को गलती से खाता संख्या 2461 में जमा कर दिया, जो कि प्रिन्सिपल, डी0ए0वी0 स्कूल, न्यू शिमला के नाम से था। अंकेक्षण के दौरान व्यक्तिगत तौर पर छानबीन करने पर यह मामला प्रकाश में आने पर लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 10 दिनांक 20.3.13 के द्वारा प्रधानाचार्य, महाविद्यालय संजौली को अवगत करवाने पर सावधि निवेश की राशि ₹2530000/–को ठीक करवाया गया तथा अन्तर की राशि ₹1063/–को खाता संख्या 2461 से भी ठीक करवाकर महाविद्यालय के खाते में समस्त राशि ₹2531063/– को जमा करवाया गया। इस प्रकार सावधि निवेश योजना में निवेशित राशियों को गलत खातों/संस्था में बैंक द्वारा निवेश करने का कारण, केवल संस्था द्वारा अभिलेखों का रख रखाव उचित प्रकार से न रखने तथा आवश्यक मिलान न करने के फलस्वरूप हुआ। पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की त्रुटियां/अनियमितताओं को न दोहराया जाये और सावधि योजना में निवेश की राशियों का रख रखाव सही ढ़ंग से किया जाये।

<u>(ग) ₹7037927/– की राशि सावधि निवेश पर ब्याज के रूप में प्राप्त/अर्जित होने पर रोकड़ वही में लेखाकिंत न करना:–</u>

महाविद्यालय द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की जॉच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2005 से 3/2012 में ₹7037927/–की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई

परन्तु इस राशि को रोकड़ वही में लेखाबद्ध नहीं किया गया। प्राप्त ब्याज को सीधे सावधि निवेश में पुनः निवेश के रूप में दर्शा दिया गया। केवल ₹4141471/– की ब्याज प्राप्ति को ही सावधि निवेश को भुनाने पर प्राप्ति के रूप में रोकड़ वही में लिया गया। सावधि योजना पर अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में लेखाबद्ध न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। यद्यपि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त हुए सावधि निवेश पर प्राप्त/अर्जित ब्याज को तैयार की वित्तीय स्थिति में जोड़ लिया गया है, फिर भी भविष्य में प्राप्त/अर्जित हुए ब्याज को रोकड़ वही में लेखाबद्ध किया जाना तथा रोकड़ वही के प्रारम्भिक शेष में समस्त निवेशित राशि को भी सम्मिलित करके रोकड़ वही में बकाया राशि के विवरण में इन्हें दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) सावधि योजना में निवेश राशियों को समय अवधि से पूर्व भुनाकर ब्याज में कम प्राप्ति के फलस्वरूप राशि ₹41776/–का वित्तीय नुकसानः–

संस्था के सावधि योजना में निवेशित राशियों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश को–ओपरेटिव बैंक दी माल शिमला में एफ0डी0आर0सं0 438038557 में राशि ₹1068174/–जिसकी भुनाने की तिथि 3.3.11 तथा एफ0डी0आर0 संख्या 4380510664 में राशि ₹1171056 जिसकी भुनाने की तिथि 3.7.11 थी ये दोनों राशियॉ 7.50**%** ब्याज से सावधि में निवेशित की। परन्तु उक्त दोनों सावधि योजना में निवेशित राशियों में से जो एफ0डी0आर0 संख्या 438038557 में राशि ₹1068174/–निवेश की थी इसकी भुनाने की तिथि 3.7.11 थी जबकि इस राशि को 3.3.11 को 1**%** कम ब्याज पर भुनाने के फलस्वरूप ब्याज में राशि (₹1214154–1172378)=₹41776.00 कम प्राप्त हुए। अतः एफ0डी0आर0 को समय से पहले भुनाने जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में एक प्रतिशत कम राशि की ब्याज के रूप में प्राप्ति हुई, स्थिति ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट की जाये व कम ब्याज की प्राप्ति बारे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए।

(ङ) सावधि निवेश रजिस्टर नियमानुसार उचित प्रकार से तैयार न करनाः–

सावधि निवेश रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि इसे नियमानुसार स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप निवेशित राशि की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। सावधि निवेश की राशियों को बार–2 अनावश्यक रूप से लिखा जाता रहा था। राशियों

को पुनः निवेशित/भुनाने बारे कोई भी स्पष्ट विवरण निवेश रजिस्टर में नहीं दिये गये थे यहॉ तक कि समय–2 पर निवेशित राशि पर बैंक द्वारा ब्याज की दर कितनी दी जा रही है स्पष्ट नहीं किया गया। जिस कारण उचित प्रकार से जॉच की जानी सम्भव नहीं हो पाई तथा प्रस्तुत अभिलेख/सूचना के आधार पर इसे तैयार किया गया। इस महत्वपूर्ण अभिलेख को तैयार न किया जाना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है तथा स्पष्ट अभिलेख न होने के कारण किसी भी प्रकार की अनियमितता दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। सावधि निवेश से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख स्वतः स्पष्ट रूप में तैयार न किये जाने बारे, स्थिति स्पष्ट की जाए व इस महत्वपूर्ण अभिलेख को अविलम्ब उचित प्रकार से तैयार किया जाए।

6 <u>महाविद्यालय के बिजली, पानी, दूरभाष के बिलों के भुगतान हेतु अनियमित प्रकार से अग्रिम राशियां प्रदान करना तथा दिनांक 31.3.12 को ₹1494301/– की राशि वसूली हेतु शेष पाई जानाः–</u>

मिश्रित निधि से समय–2 पर किये गये भुगतानों की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा दूरभाष, बिजली, पानी के बिलों का भुगतान मिश्रित निधि से अनियमित प्रकार से अग्रिम के रूप में किया जा रहा था। इस प्रकार के भुगतान मिश्रित निधि से नहीं किया जा सकता था। प्राचार्य द्वारा अंकेक्षण में यह बताया बया कि सरकारी बजट में राशि न होने के फलस्वरूप ये भुगतान मिश्रित निधि से किया गया तथा सरकार में राशि की प्राप्ति होने पर इस भुगतान की राशि की भरपाई मिश्रित निधि में कर दी जायेगी। अंकेक्षण अवधि 4/05 से 3/12 तक ₹1494301/–की राशि वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग–1 व 2"** में दिया गया है। अतः मिश्रित निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिये बिना इस प्रकार के अनियमित रूप से किये जा रहे व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा ₹1494301/– की भरपाई उचित स्त्रोत से करके राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7 (क) अग्रिम के रूप में ₹1269632/– की राशि समायोजन हेत शेष पाई जानाः–

महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्र निधियों से अलग–2 कार्यों के लिए प्राध्यापकों कर्मचारियों को अग्रिम राशियों का भुगतान किया जा रहा था। संस्था द्वारा छात्र निधियों से प्राध्यापकों व कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम एवं समायोजन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था व लेखा परीक्षा में भी प्रस्ततु नहीं किया गया। संस्था द्वारा प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को समय–2 पर दिये छात्र निधि में से अग्रिम का विवरण रोकड़ वही तथा इससे सम्बन्धित संस्था ने जो समायोजन अभिलेख प्रस्तुत किये गए उसके आधार पर विवरण अंकेक्षण द्वारा तैयार किये गये जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग–3"** पृष्ठ 1 से व तक पर दिया गया है। जॉच करने पर पाया गया कि अनेक वर्षों से अग्रिम राशियॉ समायोजन शेष पड़ी हुई है जिसका समायोजन/वसूली हेतु संस्था द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे है, जो कि अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमिता है। पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित प्रध्यापकों/कर्मचारियों से व्यय का पूर्ण विवरण वाऊचर सहित प्राप्त करके अग्रिम राशियों का समायोजन अतिशीध्र की जाए अन्यथा इसकी वसूली प्रध्यापक/कर्मचारी से तुरन्त की जाए व भविष्य में अग्रिम का समायोजन कार्य निष्पादित हो जाने के तुरन्त पश्चात समयबद्ध ढ़ंग से करवाया जाए। अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरित हो जाने की अवस्था में वसूली हेतु मामला निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के साथ अविलम्ब उठाया जाए।

संस्था द्वारा प्रदान किये जा रहे अग्रिमों से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तैयार न करने व ₹1269632/–की राशि समायोजन/वसूली हेतु शेष पाए जाने से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, व निदेशक शिक्षा विभाग के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है।

8 **विश्वविद्यालय चार्जिज के लेखों में अनेक वर्षों से संकलित राशियों के रूप में दिनांक 31.3.12 को ₹191010/–निपटारे हेतु शेष पाये जानेः–**

विश्वविद्यालय चार्जिज की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि इस खाते में दिनांक 31.3.2012 को ₹191010/– की राशि शेष थी। यह राशि विश्वविद्यालय चार्जिज के रूप में अनेक वर्षों से संकलित हुई पाई गई। जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा दिये गए प्रवेश के आधार पर प्रत्येक छात्र से विश्वविद्यालय चार्जिज की प्राप्ति समय–2 पर निर्धारित दरों से की गई थी परन्तु विश्वविद्यालय को केवल उतनी ही राशि भेजी गई जितनें छात्रों को फार्म अन्तिम रूप से भेजे गए अर्थात जिन छात्रों के फार्म किन्ही कारणवश विश्वविद्यालय को नहीं भेजे गए उनसे एकत्रित राशियों का संकलन महाविद्यालय में ही होता रहा तथा दिनांक 31.3.12 को इस खाते में ₹191010/–की राशि महाविद्यालय के खाते में शेष पडे हुये थे जिसे महाविद्यालय को अन्य मदों पर व्यय करने हेतु प्राधिकृत भी नहीं किया गया है। अतः यह राशि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें भेजी जानी अपेक्षित है अन्यथा ₹191010/–के प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करके इस प्रकरण में तदानुसार ही कार्यवही की जानी सुनिश्चित की जाए।

9 **मिश्रित निधि से दैनिक/पार्ट टाईम कर्मचारियों को राशि ₹1434650/–वेतन का अनियमित भुगतानः–**

भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि दैनिक/पार्ट टाईम पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों को मिश्रित निधि से अवधि 2005–06 से 2011–12 तक में राशि ₹1434650/–का भुगतान किया जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग–4"** में संलग्न है। की गई तैनाती किन नियमों के अन्तर्गत की गई है व यह उक्त निधि से किस प्रकार वैध प्रभार थी अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। किये गए व्यय को नियमों का उल्लेख करते हुए इसे उचित ठहराया जाए अन्यथा अनाधिकृत ढ़ंग से किये गये व्यय की भरपाई उचित माध्यम से करके राशि मिश्रित निधि में जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 (क) लाईब्रेरी सिक्योरिटी निधिः–

लाईब्रेरी सिक्योरिटी की रोकड़ वही/लेखा की जांच करने पर वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक अन्तिम शेष निम्न प्रकार से पाए गएः–

31.3.05	45038
31.3.06	552661
31.3.07	551309
31.3.08	228707 +₹300000/एफ0डी0आर0
31.3.09	291817.25+₹27925/एफ0डी0आर0
31.3.10	434750.25+₹352017/एफ0डी0आर0
31.3.11	121380.25+₹374784/एफ0डी0आर0
31.3.12	191613.25+₹374784/एफ0डी0आर0

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाविद्यालय के पास 31.3.12 को रोकड़ वही में ₹191613.25/– तथा ₹374784/– एफ0डी0आर0 में पड़े थे तथा यह अनेक वर्षों से सम्बन्धित थी। नियमानुसार यदि छात्र महाविद्यालय छोड़ने के निश्चित अवधि तक प्रतिभूति राशि वापिस नहीं लेता तो उस प्रतिभूति राशि को जब्त करके पृथक लेखा तैयार करके इस राशि का उपयोग हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 2001 में वर्णित पैरा 4.6.13 के अनुसार व्यय किया जाना आपेक्षित था परन्तु छात्रों द्वारा निश्चित समय में प्रतिभूति वापिस न लेने पर भी प्रतिभूति राशि को जब्त नहीं किया और लाईब्रेरी सिक्योरिटी निधि में कई वर्षों से बिना उपयोग के राशि खाते में जमा सम्मिलित की गई है। आपेक्षित कार्यवाई नियमानुसार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(2) ₹1009.00 की राशि विलम्ब शुल्क के रूप में वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यार्थियों को संस्था के पुस्तकालय से जारी की गई पुस्तकों को निर्धारित समय पर वापिस न करने के फलस्वरूप पुस्तकों पर दण्ड राशि निर्धारित दर से कम ली गई जिसके उदाहरण निम्न वर्णित है। पुस्तकों को देरी से वापिस लेने

पर दण्ड राशि कम या वसूली न करने बारे अपना औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0 सं0	रोल नं0	पुस्तक सं0	पुस्तक वापिस करने की निर्धारित तिथि	पुस्तक वापिस करने की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	विलम्ब शुल्क	कम वसूली (₹)
1	2871	20755 20055	22.7.06	20.8.06	30	1	60
2	2239	19603	22.8.06	20.8.06	—	—	—
3	727	20603	27.12.06	6.2.07	68	1	68
4	2233	19590	27.12.06	6.2.07	68	1	68
5	2854	20768	1.01.07	6.2.07	36	1	36
6	2854	20751	1.01.07	6.2.07	36	1	36
7	770	20727	1.01.07	7.2.07	37	1	37
8	718	20613 20674	21.01.07	8.2.07	19X2	1	38
9	1904	19794	21.1.07	13.2.07	24	1	24
10	1211	19794	21.01.07	13.2.07	24	1	24
11	1136	19556 19856	21.01.07	7.2.07	18X2	1	36
12	2229	20503	21.01.07	6.2.07	17	1	17
13	4021	21477	25.10.07	6.2.07	12	1	12
14	2711	19756	25.01.07	6.2.07	12	1	12
15	2217	20063 20041	26.01.07	7.2.07	13X2	1	26
16	4039	21407	27.01.07	6.2.07	10	1	10
17	1960	19326	28.1.07	8.2.07	12	1	12
18	1960	19347	28.1.07	8.2.07	12	1	12
19	1224	20092	28.1.07	18.2.07	22	1	22

20	061	20755	10.1.07	8.2.07	29	1	29
21	106	18790 17118	11.1.07	12.2.07	32	1	32
22	1782	19723	17.1.07	6.2.07	21	1	21
23	2335	20507	17.1.07	8.2.07	23	1	23
24	1161	20467	17.1.07	9.2.07	24	1	24
25	1210	20468	17.1.07	9.2.07	24	1	24
26	856	20724	17.1.07	12.2.07	27	1	27
27	1782	20407	19.1.07	6.2.07	17	1	17
28	750	20676	20.1.07	27.2.07	38	1	38
	750	20610	20.1.07	13.2.07	24	1	24
29	850	20444	20.1.07	7.2.07	18	1	18
30	2383	17722	20.1.07	21.2.07	32	1	32
31	2212	18693	20.1.07	8.2.07	20	1	20
32	1146	20351	12.01.07	26.2.07	46	1	46
33	756	20550	21.1.07	8.2.07	19	1	19
34	2243	20739 21351	21.1.07	13.2.07	24X2	1	48
35	2852	20384	21.1.07	6.2.07	17	1	17
						योग	1009

(3) लाईब्रेरी से कई पुस्तकें संस्था के प्राध्यापकों/कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को जारी की गई परन्तु उन्हें जारी पुस्तकें कब प्राप्त की गई, बारे कोई भी विवरण सम्बन्धित अभिलेख में नहीं पाये गये जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जारी की गई पुस्तकें सम्बन्धित कर्मचारियों से प्राप्त नहीं की गई। अतः पुस्तकों को वापिस न प्राप्त करने तथा नियमानुसार पुस्तकों के मूल्य के बराबर वसूली न करने बारे अपना औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए विवरण निम्न प्रकार से हैः–

रोल नं0	नाम	पुस्तक सं0	वापिस की तिथि	टिप्पणी
—	श्री रूप लाल	19668 20614	21.01.07	अभिलेख में वापिस का तिथि नहीं है
732	—	20665 20672	22.1.07	—यथोपरि—
—	श्री दर्शन लाल	20588 20593	26.1.07	—यथोपरि—
—	श्री आर0एस0 पेपटा	17080 13441	26.1.07	—यथोपरि—
2223	—	20387	26.1.07	—यथोपरि—
—	श्री सुरेन्द्र पाल कनिष्ठ सहायक	16910 11477 13845 16862 7367	—	ये पुस्तकें दिनांक 28.12.06 को जारी की गई तथा अभी तक वापिस जमा नही हुई
—	श्री उमा दत्त	6426 6122	—	ये पुस्तकें दिनांक 29.12.06 को जारी की गई तथा अभी तक वापिस जमा नही हुई
—	श्री सुरेन्द्र पाल कनिष्ठ सहायक	20520 20536 17415	—	ये पुस्तकें दिनांक 13.2.07 को जारी की गई तथा अभी तक वापिस जमा नही हुई
—	श्री लेख राज लैबोटरी सहायक	21438 2 नं0 21498	—	ये पुस्तकें दिनांक 21.2.07 को जारी की गई तथा अभी तक वापिस जमा नही हुई
—	श्री जगदीश चन्द	16840 2 नं0 2630	—	ये पुस्तकें दिनांक 21.2.07 को जारी की गई तथा अभी तक वापिस जमा नही हुई
—	डा0 मन्जु	20312	—	ये पुस्तकें दिनांक 21.2.07

	मौसिक	20154 20161 5 नं0 20153 20165		को जारी की गई तथा अभी तक वापिस जमा नही हुई
1721	–	585	20.1.07	अभी तक वापिस जमा नही हुई
731	–	20661	20.1.07	–यथोपरि–
758	–	20656 2 नं0 19739	21.1.07	–यथोपरि–

(4) लाईब्रेरी सिक्योरिटी पर अर्जित होने वाले ब्याज को लाईब्रेरी के उद्देश्य के लिए व्यय करने बारेः–

निदेशक, उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या ई0डी0एन–एच(8) 8(4) 28/08–बजट लाई दिनांक 26.3.09 के अनुसार लाईब्रेरी सिक्योरिटी पर अर्जित होने वाले ब्याज को लाईब्रेरी के लिए नई पुस्तकों, मैगजीन, अखबारों, फर्नीचर, कम्पयूटर आदि पर खर्च किये जाने के निर्देश दिए थे। सम्बन्धित व्यय पत्र में वर्णित कमेटी की रिकोमोडेशन पर किया जाना आपेक्षित था। इसके साथ–2 उक्त पत्र में लाईब्रेरी सिकयोरिटी तथा जब्त सिकयोरिटी की अलग से रोकड़ वही रखने को भी कहा गया था। परन्तु राजकीय महाविद्यालय के लेखों के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि संस्था द्वारा केवल सिकयोरिटी से सम्बन्धित रोकड़ वही ही रखी गई है। इसके अतिरिकत कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। संस्था को सुझाव दिया जाता है कि वे निदेशक उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 26.5.09 में दिये निर्देशानुसार अभिलेख का रख–रखाव किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।

11 छात्र निधियों में बकाया में पड़ी राशियों को छात्रों को वेलफेयर पर खर्च न करने बारेः–

निदेशक, उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या ई0डी0एन–एच(8) ए एफ/2008 दिनांक 17.12.2008 में जारी निर्देशों के अनुसार छात्र निधियों में बकाया पड़ी राशियों को छात्रों के कल्याणार्थ खर्च करने को कहा गया जबकि संस्था के निधि लेखों अवधि

4/05 से 3/12 के दौरान पाया गया कि छात्र निधियों में लाखों ₹ के हिसाब से बकाया मे ंपड़े है जिन्हें छात्रों कल्याणार्थ खर्च नहीं किया जा रहा। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छात्र निधि में बकाया पड़ी राशियों को स्टूडैन्ट वेलफेयर एक्टिविटी में खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 <u>₹786297/– की राशि का मुद्रण कार्य राजकीय मुद्रणालय, शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जानाः–</u>

छात्र निधि लेखा की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पहचान पत्र, प्रोस्पैक्टस, पत्रिका व अन्य मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया गया। मुद्रण कार्य करवाए जाने से पूर्व कोई भी अनापति प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया गया। अंकेक्षाणधीन अवधि में इस प्रकार के करवाए गए कार्य/भुगतान का विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है। मुद्रण कार्य राजकीय मुद्रणालय से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में मुद्रण कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

13 <u>हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–5 को भेजी गई राशि ₹491334/–की रसीदें अभिलेख में न पाई जानाः–</u>

महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय चार्जिज के लेखा की जॉच करने पर पाया गया कि विश्वविद्यालय को समय–2 पर राशियों भेजी गई थी परन्तु किये गए भुगतान से सम्बन्धित रसीदें अभिलेख मे ंनहीं पाई गई ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान से सम्बन्धित रसीदें विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की जा रही थी जिससे किये गए भुगतानों की आवश्यक पुष्टि नहीं हो पाई। ₹491334/–की राशि चयनित मासों में विश्वविद्यालय को भेजी गई दर्शाई गई, जिसके समर्थन में यह नहीं पाया गया कि राशि किस पत्र व ड्राफ्ट द्वारा भेजी गई है। अतः लाखों ₹ का भुगतान बिना रसीदों के प्राप्त किये ही कर दिया जाना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व विश्वविद्यालय से आवश्यक रसीदें/प्रमाण

पत्र प्राप्त करके भुगतान की पुष्टि आगामी लेखा परीक्षा के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

वा0सं0 / दिनांक	भुगतान का विवरण	भुगतान राशि (₹)
169 / 20.12.08	एग्जामिनेशन फीस (2008—09)	78020
10 / 30.4.09	वार्षिक कन्टीन्यूएशन फीस (2008—09)	14801
97 / 9.10.09	रजिस्टरेशन फीस माग्रेशन फीस (वर्ष 2009—10)	41039
170 / 21.12.09	एग्जामिनेशन फीस (2009—10)	102920
400 / 23.9.10	रजिस्ट्रेशन फीस (2010—11)	210168
04 / 1.4.11	वार्षिक कन्टीन्यूएशन फीस (2010—11)	30750
412 / 28.9.11	रजिस्ट्रेशन फीस (2011—12)	46356
173 / 8.12.11	एग्जामिनेशन फीस (2011—12)	57210
174 / 9.12.11	एग्जामिनेशन फीस (2011—12)	12360
186 / 29.12.11	एग्जामिनेशन फीस (2011—12)	67710
	योग	**491334**

<u>मिश्रित निधिः—</u>

14 <u>(1) वाऊचर संख्या 414 दिनांक 1.10.10 ₹681744 / —</u>

उपरोक्त भुगतान निम्नलिखित विवरण अनुसार फर्मों को फर्नीचर की खरीद हेतु किया गयाः—

बिल सं0 / दिनांक	फर्म का नाम	राशि (₹)	उद्देश्य
0003285 / 8.9.10	हि0प्र0 राजकीय हथकरघा निगम शिमला	142000	फर्नीचर की खरीद
221 / 13.9.10	मैसर्ज पार्वती एन्ट्रपाईजिज गुरूद्वारा मार्किट बिलासपुर	272160	पी0बी0सी0 मोल्डिंग सीलो चैयर
1146 / 13.9.10	मैसर्ज साईं फर्नीचर हाऊस गुरूद्वारा मार्किट बिलासपुर	146456	सौंफा टाईप चेयर तथा 3 सीटस सौफा

उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज पार्वती इन्टरप्राईजिज तथा मैसर्ज साईं फर्नीचर हाऊस, गुरूद्वारा मार्किट, बिलासपुर से की गई खरीद बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किये की गई जिसके फलस्वरूप बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया।बिना औपचाकिताएं पूर्ण किये फर्नीचर की खरीद उक्त फर्मों से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(2) खरीद किये गये फर्नीचर की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 41 के क्रम संख्या 373374 तथा पृष्ठ संख्या 40 के क्रम संख्या 368, 369 से 372 में की गई दर्शाई है। जिसके अनुरूप खरीदा गया सामान कार्यालय प्रयोग से सम्बन्धित था, जिसके आधार पर किया गया व्यय छात्र निधि पर वैध प्रभार नहीं था। छात्र निधि से किये गए अनियमित व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

(3) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि संस्था ने उक्त भुगतान सम्बन्धित फर्मों को बिना सक्षम अधिकारी से बिलों को पारित करवाये किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है बिना सक्षम अधिकारी से बिलो को पारित करवाकर भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित करें।

<u>(2) वाऊचर संख्या 422 दिनांक 12.10.10 ₹13458/–</u>

(1) उपरोक्त वर्णित भुगतान साईंस ब्लाक के उदघाटन पर होने वाले व्यय हेतु किया गया। अभिलेखों की जॉच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा यह भुगतान बिना सक्षम अधकारी से बिलों को पारित किये ही किया गया। बिलों को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किए बिना ही भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व किये गये भुगतान बिलों को पारित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) उक्त उद्देश्य पर मिश्रित निधि से किया गया व्यय वैध प्रभार नहीं था। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके राशि मिश्रित निधि में जमा की जाये।

(3) उक्त बिलों की प्रविष्टि से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर को भी लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्ततु नहीं किया गया। अतः स्टॉक रजिस्टर को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये और आगामी अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में उक्त व्यय की प्रविष्टियों का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) वाऊचर संख्या 419 दिनांक 11.11.10 ₹206963/–

संस्था ने उक्त भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य हैण्डीक्राफ्ट एवम हैण्डलम निगम शिमला को कैमीस्टरी आर्टिकल की खरीद के एवज में किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त सामग्री की खरीद नियमानुसार कैमीस्टरी निधि से की जानी थी जबकि संस्था ने यह खरीद मिश्रित निधि से की गई, जो कि अनियमित था। अतः सामग्री की खरीद केमीस्टरी निधि से न करके मिश्रित निधि से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मिश्रित निधि से कैमीस्टरी सामग्री की खरीद पर किये अनियमित व्यय ₹206963/–की भरपाई कैमीस्टरी निधि से की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच करने पर यह भी पाया गया कि हिमाचल प्रदेश हैण्डीक्राफ्ट एवम हैण्डलूम निगम शिमला को भुगतान बिना सक्षम अधिकारी से पारित करवाये किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितत है बिलों का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी से प्राप्ति करवाए ही कर दिये जाने बारे अपना औचित्य स्पष्ट किया जाये और बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए।

(4) वाऊचर संख्या 424 दिनांक 12.10.10 ₹6260/–

संस्था ने उक्त भुगतान मैसर्ज पाल स्टूडियो, लक्कड़ बाजार, शिमला को फोटो बनाने हेतु किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

बिल सं0	राशि (₹)
47/20.7.10	1030
49/7.8.10	720
50/18.8.10	600
51/7.9.10	800
52/15.9.10	510
53/16.9.10	1530

54 / 16.9.10	410
55 / 16.9.10	660
कुल योग	**6260**

उपरोक्त बिलों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि बिलों के द्वारा कौन–कौन से महोत्सव / उत्सवों पर फोटों को खिंचवाया गया तथा यह समारोह छात्र गतिविधियों से सम्बन्धित थे, अभिलेख में स्पष्ट नहीं था। जिसके अभाव ये यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये भुगतान छात्रों की गतिविधियों से सम्बन्धित था या नहीं । अतः बिना उद्देश्य दर्शाये फोटो के बिलो का भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा किये गये व्यय को छात्र निधि से नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित / अनुचित भुगतान की वसूली करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

(2) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि बिलों का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी से पारित करवाकर किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है बिना सक्ष्म अधिकारी से पारित करवाये किये गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा किये गए भुगतान बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित करवाकर सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए।

15 <u>(1) फाईन फण्डः–</u>

<u>वाऊचर संख्या 502 दिनांक 22.12.07 ₹3600 / – वाऊचर सं0 572 दिनांक 26.12.07 ₹4000 / –</u>

उक्त भुगतान अग्रिम के रुप में श्री हेम चन्द, लैब ऐटेडैंन्ट को, विद्यार्थियों के लैक्चर कम पाये जाने की सूचना पत्र द्वारा उनके घर पर भेजने के लिये किया गया। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि जो अग्रिम भुगतान श्री हेमचन्द लैब ऐटेडैन्ट को किया गया, उससे सम्बन्धित समायोजन लेखा अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस उदेश्य के लिये उक्त कर्मचारी को अग्रधन दिया गया, उस उदेश्य पर खर्च नहीं किया गया प्रतीत होता है अतः इस मामले में विभागीय छानबीन करके प्रदान अग्रिमों के समायोजन बारे नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

(2) वाऊचर संख्या 574 दिनांक 26.12.07 ₹6300/–

उक्त भुगतान श्री अश्वनी कपूर, कैंटीन कोन्ट्रेक्टर को दिनांक 7.12.07 से 8.12.07 को पुलिस ग्राऊंड भराड़ी में खेल प्रतियोगिता में 210 व्यक्तियों को दोपहर के भोजन हेतु किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि कोई भी ऐसा अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि खेल प्रतियोगिता के दौरान कितने विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य द्वारा तैनात किया गया था व कितने छात्रों व अन्य व्यक्तियों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया गया। शिक्षा विभाग द्वारा समय–2 पर जारी दिशा निर्देशों तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट एवं ओर्डिनैक्स के अनुसार छात्र निधि से खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु तैनात छात्रों पर ही व्यय किया जाना आपेक्षित था। अतः भुगतान वाऊचर/बिल के साथ ऐसा कोई विवरण नहीं था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दोपहर का भोजन किस–2 को दिया गया 240 व्यक्तियों को करवाए गए भोजन की संख्या उचित प्रतीत नहीं होती। बिना विवरण व इसके सत्यापन के बिल के भुगतान को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक छानबीन करके उचित भुगतान ही छात्र निधि से किया जाए व पाए गए अनुचित भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

(3) वाऊचर संख्या 49 से 54 दिनांक 26.8.10 ₹245850/–

संस्था द्वारा उक्त भुगतान नगर निगम, शिमला को अवधि 2010–11 के निगम टैक्स हेतु किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि ये भुगतान सीधे छात्र मिश्रित निधि से नगर निगम को किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट एवं ओर्डिनेन्स की धारा 42.1 के अनुसार यह भुगतान मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुचित/अनियमित भुगतान की भरपाई शीघ्र उचित स्त्रोत से करके राशि मिश्रित निधि में जमा की जाये।

(4) वाऊचर संख्या 273/06 दिनांक 18.12.06 ₹7350/–

संस्था द्वारा उक्त भुगतान महाविद्यालय छात्रों को नगद में ईनाम के रूप में फीस फण्ड से किया गया। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान किन–2 छात्रों को कितने–2 धन राशि के रूप में किया उससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख भुगतान

वाऊचर के साथ नहीं पाया गया । अतः भुगतान वाऊचर के साथ दी गई ईनाम राशि से सम्बन्धित अभिलेख न होने के फलस्वरूप किये गए भुगतान की जांच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त नियमों में ईनाम के रूप में नगद भुगतान करने बारे कोई भी प्रावधान नहीं था। भुगतान की ईनाम राशि का पूर्ण ब्यौरा नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा ₹7350/–की वसूली सम्बन्धित से करके फाईन फण्ड निधि में जमा की जाये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 राजकीय महाविद्यालय संजौली द्वारा फीस एवं फण्डों की विभिन्न समय अवधियों के दौरान छात्रों की संख्या में भिन्नता का पाया जानाः–

राजकीय महाविद्यालय, संजौली के अवधि 2005–06 से 2011–12 के फीस एवं फण्ड प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा विद्यार्थियों से साल में किस्तों के आधार पर फीस एवं फण्डों की वसूली की जा रही थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा प्रवेश के समय जितने विद्यार्थियों से फीस एवं फण्डों की वसूली की गई थी। उसके पश्चात आगामी/दूसरी एवं अन्तिम फीस एवं फण्ड की वसूली उतने विद्यार्थियों से न करके उससे कम विद्यार्थियों से की गई। अभिलेख में कोई ऐसी टिप्पणी या विवरण नहीं पाया गया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आगामी मासों में किस आधार पर कम विद्यार्थियों से फीस एवं फण्डों की प्राप्तियॉ की गई। अतः अभिलेखों में पूर्ण विवरण न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आगामी मासों में की गई फीस एवं फण्डों की वसूली संस्था द्वारा ठीक की गई अथवा नहीं। इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 1 दिनांक 31.10.12 द्वारा संस्था को भिन्नता के तथ्यों का समाधान सम्बन्धित स्पष्टीकरण देने को कहा गया था परन्तु संस्था द्वारा उक्त मामले में कोई भी अभिलेख यथा मॉग वसूली रजिस्टर एवं स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आवश्यक पुष्टि हो पाती। संस्था द्वारा जिन–2 वर्षों में फीस एवं फण्डों की अन्तिम किश्त की वसूली कम छात्रों से की गई उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

शैंसन	कक्षा	प्रवेश के दौरान छात्रों की सं0 जिनसे फीस एवं फण्ड की वसूली की	अन्तिम एवं दूसरी किश्त के दौरान छात्रों की सं0	कम छात्रों की सं0 जिनसे फीस एवं फण्ड की वसूली की गई
2005–06	बी0ए0 प्रथम	784	677	107
	बी0एस0सी0 प्रथम (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	360	288	74
	बी0ए0 द्वितीय	431	419	12
	बी0एस0सी0 द्वितीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	143	139	4
	बी0ए0 तृतीय	282	282	–2
	बी0एस0सी0 तृतीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	122	128	–6
2007–08	बी0ए0 प्रथम	112	94	18
	बी0काम0 प्रथम	88	79	9
	बी0एस0सी0 (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	144	68	46
	बी0ए0 द्वितीय	88	86	2
	बी0काम0 द्वितीय	32	43	–11
	बी0एस0सी0 (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	65	57	8
	बी0ए0 तृतीय	320	245	75
	बी0काम0 तृतीय	–	–	–
	बी0एस0सी0 (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	128	107	21

2008–09	बी0ए0 प्रथम	315	282	33
	बी0काम0 प्रथम	80	70	10
	बी0एस0सी0 प्रथम (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	200	135	65
	बी0ए0 द्वितीय	97	82	15
	बी0काम0 द्वितीय	75	59	16
	बी0एस0सी0 द्वितीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	75	53	22
	बी0ए0 तृतीय	83	65	18
	बी0काम0 तृतीय	38	38	–
	बी0एस0सी0 तृतीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	63	51	12
2009–10	बी0ए0 प्रथम	399	357	42
	बी0काम0 प्रथम	81	75	06
	बी0एस0सी0 प्रथम (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	191	133	58
	बी0ए0 द्वितीय	340	204	36
	बी0काम0 द्वितीय	60	75	–15
	बी0एस0सी0 द्वितीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	105	85	20
	बी0ए0 तृतीय	70	82	–12
	बी0काम0 तृतीय	62	66	–4
	बी0एस0सी0 तृतीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	58	59	–1
2010–11	बी0ए0 प्रथम	392	362	30
	बी0काम0 प्रथम	88	71	17
	बी0एस0सी0 प्रथम (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	201	132	64
	बी0ए0 द्वितीय	336	272	64

	बी0काम0 द्वितीय	81	74	7
	बी0एस0सी0 द्वितीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	106	58	48
	बी0ए0 तृतीय	209	195	14
	बी0काम0 तृतीय	75	70	5
	बी0एस0सी0 तृतीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	81	73	8
2011–12	बी0ए0 प्रथम	401	370	31
	बी0एस0सी0 प्रथम (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	82	68	14
	बी0काम0 प्रथम	256	177	79
	बी0ए0 द्वितीय	331	228	3
	बी0काम0 द्वितीय	78	75	3
	बी0एस0सी0 द्वितीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	119	77	42
	बी0ए0 तृतीय	257	262	–
	बी0काम0 तृतीय	75	65	10
	बी0एस0सी0 तृतीय (मैडिकल व नॉन मैडिकल)	62	56	6

इस प्रकार उपरोक्त दिये कुछ विवरणों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा दर्शाए गए विद्यार्थियों की संख्या के दृष्टिगत फीस एवं फण्डों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कम वसूली की गई प्रतीत होती है। संस्था द्वारा समय–2 पर की गई प्राप्तियों को मॉग व वसूली रजिस्टर तैयार करके उचित ठहराया जाए व आवश्यक छानबीन विभागीय स्त्तर पर करके आवश्यक उचित कार्यवाही नियमानुसार की जाए। भविष्य में छात्र निधियों से सम्बन्धित मॉग व वसूली रजिस्टर उचित प्रकार से तैयार किया जाए जिससे प्रत्येक छात्र का लेखा स्वतः स्पष्ट हो सके।

17 संस्था द्वारा विभिन्न वर्षों में विक्रय किये प्रोस्पैक्टस में ₹57390/—के वित्तीय नुकसान की सम्भालनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न—2 वर्षों में संस्था द्वारा छात्रों के प्रवेश के दौरान, जितनी संख्या में प्रोस्पैक्टस की छपवाई करवायी गई जितने प्रोस्पैक्टस को विक्रय किया गया और जितने बकाया में है, का लेखा तैयार नहीं किया गया। संस्था के अभिलेखों में कोई भी ऐसा अभिलेख/स्टॉक लेखा में नहीं पाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्षवार कितने प्रोस्पैक्टस की छपवाई करवाई गई और कितने प्रोस्पैक्टस का विक्रय किया गया तथा बकाया प्रोस्पैक्टस कितने संस्था के पास थे। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 26.11.12 द्वारा संस्था को वर्षवार कितने प्रोस्पैक्टस की छपवाई करवायी गई कितने प्रोस्पैक्टस बकाया में है और कितने प्रोस्पैक्टस विक्रय किये गये तथा कितनी धन राशि प्राप्त की गई और संस्था के किस खाता में राशि को जमा किया गया, के बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने को कहा गया था। परन्तु संस्था ने अंकेक्षण पूर्ण होने तक कोई भी सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता कि ओर इंगित करता है। अंकेक्षण के दौरान उक्त मामले में कुछ तथ्य नोट किये गये जिसके अनुसार संस्था द्वारा छपवाये गये प्रोस्पैक्टस तथा छात्रों को विक्रय गये प्रोस्पैक्टस का विवरण तैयार किया गया जो कि निम्नलिखित हैः—

वर्ष	फर्म का नाम एवं बल सं0	छपवाये गये प्रोस्पैक्टस की सं0	वर्ष के दौरान विक्रय प्रोस्पैक्टस	अन्तर
2008—09	मैसर्ज महाजन प्रिंटिंग प्रैस संजौली (206/25.7.08)	1700	1558	142
2009—10	—यथोपरि— बिल सं0 128/2.7.09	2500	1868	632
2010—11	—यथोपरि— बिल सं0 270/19.8.10	2800	2091	709

2011–12	–यथोपरि– बिल सं0 75 / 23.5.11	2500	2070	430
				1913

उक्त विवरण के अनुसार संस्था के पास 1913 नं0 प्रोस्पैक्टस बकाया में थे तथा जिनका विक्रय न दर्शाने पर संस्था को ₹57390 / (1913X30)कम प्राप्ति होना सम्भावित है। अतः आवश्यक लेखा वर्णित त्रुटि को ध्यान में रखते हुए तैयार करके यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त राशि लेखाबद्ध कर गई है तथा शेष पाए गए प्रोस्पैक्टस महाविद्यालय में ही शेष थे।

(2) संस्था द्वारा वर्ष 2009–10 में वी0सी0ए0 के प्रवेश के लिये मैसर्ज महाजन प्रिंटिंग प्रैस संजौली से बिल संख्या 129 / दिनांक 2.7.09 के अन्तर्गत 600 नं0 प्रौस्पैक्टस की छपवाई करवायी थी। परन्तु इनमें से वर्ष के दौरान कितने प्रोस्पैक्टस विक्रय किये गये और कितने बकाया में संस्था के पास पड़े है तथा इससे प्राप्त होने वाली राशि को कब कब संस्था किस खाते में जमा किया गया, सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था ने इस विषय पर कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किये गये। अतः प्रधानाचार्य इस मामले में अपने स्तर पर पूर्ण छानबीन में तथा बी0सी0ए0 से सम्बन्धित प्रोस्पैक्टस के विक्रय के तहत कितनी राशि संस्था को प्राप्त हुई और किस खाते में जमा किये तथा कितने प्रोस्पैक्टस बकाया में है, के बारे पूर्ण तथ्यों सहित बकाया में है, के बारे पूर्ण तथ्यों सहित इस विभाग को अवगत करवाएें।

18 पहचान पत्र की प्रिंटिग एवं जारी करने से सम्बन्धित अभिलेखों के बारेः–

संस्था हर वर्ष छात्रों को प्रवेश के समय पहचान पत्र जारी करती है। संस्था ने वर्ष 2008–09 से अवधि 2011–12 तक जितने पहचान पत्र जारी किये और कितने प्रिंट करवाये तथा कितने बकाया में उसका विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	फर्म कानाम / बिल सं0	मात्रा	संस्था की छात्रों की सं0 अनुसार जारी आईकार्ड	बकाया
2008–09	मैसर्ज महाजन प्रिंटिंग प्रैस बिल सं0 299 दिनांक 9.9.08	1500 नं0	1026	474
2009–10	–यथोपरि– बिल सं0 174 / 2.7.09	1800 नं0	1311	489

2010–11	–यथोपरि–	बिल सं0 272/19.8.10	1500 नं0	1559	–59
2011–12	–यथोपरि–	बिल सं0 077/23.5.11	2500 नं0	1631	869
					1773

उक्त विवरण के अनुसार संस्था ने छात्रों की कुल संख्या से अत्यधिक मात्रा में पहचान पत्रों की छपवाई करवाई और बकाया में हर वर्ष काफी मात्रा में पहचान पत्रों बकाया में दर्शाये गये है। परन्तु संस्था द्वारा उक्त पहचान पत्रों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना अभिलेखों की जांच के यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अत्याधिक मात्रा में आई कार्ड की छपवाई किस आधार पर करवाई गई जिसके बारे संस्था पूर्ण तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में बकाया पड़े पहचान पत्रों की संख्या को जारी करने के पश्चात इतने ही पहचान पत्र की छपवाई करवायी जाये जितनी संस्था को आवश्यकता है व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 छात्रावास का प्रतिभूति निधिः–

(1) छात्रावास प्रतिभूर्ति निधि में छात्रावास के बिजली, पानी तथा दूरभाष बिलों पर ₹124279/– का व्यय अनुचित प्रकार से किया जानाः–

छात्रावास निधि रोकड़ वही की जॉच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से प्राप्त प्रतिभूर्ति राशि में से छात्रावास के बिजली, पानी के बिलों तथा दूरभाष के बिलों के भुगतान हेतु व्यय किया गया जबकि छात्रों से प्राप्त प्रतिभूतियों को केवल छात्रावास छोड़ने पर ही सम्बन्धित छात्रों को लौटाया जाना आपेक्षित था। इसके अतिरिक्त इस निधि से केवल अन्य लधु व्यय ही किये जाने अपेक्षित थे। महाविद्यालय अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त फण्ड में प्राप्त राशियों में से पानी एवं बिजली के बिलों का भुगतान किया गया जबकि वास्तविक आधार पर छात्रावास में रह रहे छात्रों से ही एकत्रित करके भुगतान भी तदानुसार ही किया जाना आपेक्षित था। निम्न विवरणानुसार प्रतिभूति राशियों से अनुचित प्रकार से ₹124379/– के भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹124279/–की वसूली उचित स्त्रोत से करके प्रतिभूति निधि में जमा करवाई जाए। इसके साथ–2 चयनित मासों के अतिरिक्त वर्ष के अन्य मासों में किये गये बिजली, पानी, दूरभाष बिलों का विवरण तैयार कर व्यय राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	वा0सं0 / मास	विवरण	राशि (₹)
1	239 / 8 / 06	पानी के बिल	14133
2	333 / 1 / 08	बिजली के बिल	8489
3	336 / 2 / 08	–यथोपरि–	6608
4	339 / 3 / 08	पानी के बिल	14963
5	340 / 3 / 08	बिजली के बिल	6234
6	365 / 4 / 08	–यथोपरि–	7337
7	28 / 10 / 09	पानी के बिल	21574
8	29 / 10 / 09	बिजली के बिल	4892
9	76	बिजली के बिल	15764
10	78	बिजली के बिल	7515
11	96	बिजली के बिल	16770
			124279

(2) बिजली के बिल को बिना प्रमाणित किये ही कनिष्ट सहायक को ₹6481/–का अग्रधन का भुगतानः–

संस्था के होस्टल निधि की रोकड़ वही की जांच के उपरान्त पाया गया कि संस्था ने बिना किसी प्रमाण के कनिष्ठ सहायक को बिजली के बिलों की राशि ₹6481/– का भुगतान अग्रधन के रूप में किया जोकि अनियमित था क्योंकि अग्रधन के रूप में किये भुगतान ₹6481/–के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख भुगतान वाऊचरों में नहीं पाये गये। अतः बिना किसी प्रमाण के ₹6481/–का भुगतान किस आधार पर कनिष्ट सहायक को किया गया से सम्बन्धित औचित्य स्पष्ट किया जाये और अग्रधन के रूप में भुगतान किये गए ₹6481/–से सम्बन्धित समायोजन खाते आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके आवश्यक पुष्टि करवाई जाए अन्यथा वसूली करके राशि सम्बन्धित निधि में जमा की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(3) छात्रावास निधि की रसीदों एवं सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर को प्रस्तुत न करनाः–

संस्था के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा अवधि 4/05 से 3/12 के दौरान छात्रावास निधि में प्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदों तथा स्टॉक रजिस्टर को लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया। छात्रावास निधि से सम्बन्धित रसीदों एवं स्टॉक रजिस्टर को लेखा परीक्षा मे ंप्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व आगामी अंकेक्षण के दौरान छात्रावास निधि मे ंप्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदों एवं स्टॉक रजिस्टर को जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये। आवश्यक अभिलेख जॉच प्रस्तुत न करने से सम्बन्धित प्रकरण उच्चाधिारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

20 संस्था द्वारा छात्र निधिचयों से राशि ₹358335/–का व्यय कम्पयूटर की खरीद पर करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था ने वित्तीय वर्ष 2010–11 व 2011–12 में छात्र निधि में से विभागों में कम्पयूटर को लगाने हेतु व्यय किया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

छात्र निधि का नाम	फर्म का नाम तथा बिल सं0 एवं दिनांक	राशि ₹ में
एन0सी0सी0 निधि	हि0प्र0 विद्युत विकास निगम, शिमला	34174
	बिल सं0 26329 दिनांक 11.10.11	9990
	बिल सं0 26794 दिनांक 16.12.11	
	हि0प्र0 विद्युत विकास निगम, शिमला	59150
	बिल सं0 26730 दिनांक 13.12.11	9200
	बिल सं0 26543 दिनांक 17.11.11	
ज्योलाजी निधि	हि0प्र0 विद्युत विकास निगम, शिमला	
फीसोलोजी निधि		
ज्योग्राफी एवं	बिल सं0 26333 दिनांक 11.10.11	68350
	बिल सं0 26796 दिनांक 16.12.11	19980
कैमस्ट्री निधि	हि0प्र0 विद्युत विकास निगम, शिमला	79151
	बिल सं0 6370000722 दिनांक 21.3.11	

	(Hitachi Projector CP-x4014WM तथा Tripoo Screen की खरीद)	
होस्टल निधि	हि0प्र0 विद्युत विकास निगम, शिमला	
	बिल सं0 26731 दिनांक 31.12.11	59150
	बिल सं0 26795 दिनांक 16.12.11	9990
	बिल सं0 26544 दिनांक 17.11.11	9200
	योग	**358335**

उपरोक्त वर्णित कम्पयूटर का व्यय छात्र निधि से करना और संस्था के विभिन्न विभागों में स्थापित करना छात्र निधि पर उचित प्रभार न था। अनियमित/अनुचित प्रकार से किये गए व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹358335/–की भरपाई उचित स्त्रोत से करके राशि सम्बन्धित छात्र निधि में जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि संस्था ने उपरोक्त वर्णित छात्र निधि के अलावा किसी अन्य छात्र निधि से कम्पयूटर की खरीद पर व्यय अनियमित प्रकार से किया है तो उसकी भरपाई भी उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित छात्र निधि में राशि जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

21 ₹221458/–के सामान की स्टॉक प्रविष्टियॉ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में न किया जानाः–

छात्र निधि से समय–2 पर किये गये व्यय की जॉच करने पर पाया गया कि निम्नविरणानुसार ₹221458/–के सामान की स्टॉक प्रविष्टियों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर को लेखा परीक्षा के दौरान प्रयुक्त नहीं किया गया। बार–2 आग्रह करने पर भी संस्था द्वारा स्टॉक रजिस्टरों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिलों से खरीद किये गये सामान/सामग्री की प्रविष्टियॉ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर मे नहीं की गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सामान/सामग्री की खरीद से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरो को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा आगामी अंकेक्षण में सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में सामान/सामग्री की खरीद से सम्बन्धित प्रविष्टियों की पुष्टि सामान के उपयोग के सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वा0सं0 / दिनांक	फर्म का नाम व बिल सं0	क्रय किये सामान का विवरण	मूल्य (₹)
283 / 23.12.05	दीपक बुक डिपु संजौली, बिल सं0 9613 दिनांक 30. 11.05 बिल सं0 9615 दिनांक 30.11.05 बिल सं0 9621 दिनांक 1.12.05	प्रिटिंग आदि का सामान	2046
284 / 23.12.05	मै0 अरमान प्रिपिटिंग महाजन निवास संजौली	उत्तर पुस्तिका	25765
561 / 31.12.07	–यथोपरि– बिल सं0 116 दिनांक 8.10. 07 बिल सं0 152 दिनांक 26. 11.07 बिल सं0 154 दिनांक 26. 11.07	उत्तर पुस्तिका प्रमाण पत्र	35115
593 / 1.1.08	महाजन प्रिटिंग प्रैस बिल सं0 413 / 10.12.07 बिल सं0 415 / 21.12.07 बिल सं0 414 / 18.12.07		1186
165 / 15.12.08	मै0 महाजन प्रिटिंग प्रैस बिल सं0 357 तथा 406 दिनांक 20.10.08 तथा 20. 10.08	उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र	32760 8372
265 / 20.12.05	मै0 कपूर एजुकेशनल निगम, चण्डीगढ़ बिल नं0 20016 / 12.12.05	24 नं0 ट्रेकसूट	16224
265 / 20.12.05	मै0 प्राईस लैण्ड इण्डस्ट्रीज	एक्रेलिक पिलर	53258

	एरिया चण्डीगढ़ बिल नं0 671 व 672 दिनांक 12.12.05	ग्लास फोटो फ्रेम, वुडन मोमेन्टो, सिल्वर मेडल	
177 / 31.12.09	मै0 महाजन प्रिटिंग प्रैस संजौली बिल सं0 417 दिनांक 21.12.09 बिल सं0 416 दिनांक 21.12.09 बिल सं0 415 दिनांक 21.12.09	उतर पुस्तिका अवार्ड पिस्ट एव प्रश्नपत्र	48732
		योग	**221458**

22 महाविद्यालय पत्रिकाः—

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों को वितरित करने के लिए हर वर्ष महाविद्यालय पत्रिका की छपवाई करवायी गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वा0सं0 / दिनांक	फर्म का नाम	मात्रा	राशि (₹)
407 / 28.9.10	मै0 महाजन प्रिंटिग प्रैस संजौली	1350	62370
60 / 26.8.11	—यथोपरि—	1700	80325
68 / 2.4.12	—यथोपरि—	1600	75200

महाविद्यालय पत्रिका से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्राप्ति व जारी किये जाने से सम्बन्धित लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि वर्ष के दौरान कितनी पत्रिकाऐं छात्रों में वितरित की गई तथा कितनी बकाया में संस्था के पास है। लेखा परीक्षा द्वारा बार—2 आग्रह करने पर भी उक्त पत्रिकाओं से सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और महाविद्यालय पत्रिका से सम्बन्धित लेखा प्रतिवर्ष के आधार पर जिसमें कितनी—2 पत्रिकाऐं प्राप्त व छात्रों को वितरित की तथा कितनी बकाया संस्था के पास है और बकाया पड़ी पत्रिकाओं का संस्था द्वारा क्या किया गया, बारे पूर्ण स्थिति आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाये।

23 मुद्रित रसीदों के स्थान पर अनाधिकृत अनियमित रूप से कम्पयूटर द्वारा रसीदें जारी करनाः–

संस्था के छात्र निधि के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2005–06 से 2011–12 के दौरान विभिन्न निधियों एवं फीस की प्राप्ति मुद्रित रसीदों पर न करके इसके स्थान पर सीधे कम्पयूटर द्वारा रसीद जारी करके किया गया। प्रक्रियानुसार/नियमानुसार मुद्रित रसीदों को जारी करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि कम्पयूटरीकृत रसीदों के मामले में जारी की गई रसीदों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत/सत्यापित नहीं किया गया क्योंकि अपनाई गई प्रक्रियानुसार यह सम्भव ही नहीं था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कम्पयूटरीकृत रसीदों को अधिकृत नहीं माना जा सकता तथा रसीद जारी करके राशि की प्राप्ति के पश्चात कम्पूयटर में इसकी प्रविष्टि को समाप्त कर दिये जाने पर राशि के दुरूपयोग से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इन्हें सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर ही जारी किया गया। अपनाई गई प्रक्रिया/प्रोग्राम पूर्व में सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं था। महाविद्यालय द्वारा कम्पयूटरीकृत रसीदों से सम्बन्धित प्रोग्राम को सक्षम अधिकारी से बिना अनुमोदित करवाये तथा अपने स्तर पर ही रसीदों को कम्पयूटर से जारी कर देना अनियमित ही नहीं अत्यन्त आपतिजनक भी है। पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जांच एवं उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

(2) रसीद स्टॉक रजिस्टर को प्रस्तुत न करने बारेः–

महाविद्यालय द्वारा छात्रों से शुल्क इत्यादि एकत्रित करने हेतु प्रयोग में लाई जा रही रसीद बुकों के स्टॉक लेखा को अंकेक्षण में अपेक्षित जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा उक्त स्टॉक रजिस्टर तैयार ही नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर त्रुटि है जिसके अभाव में आवश्यक जॉच यथा रसीद बुकों के प्रारम्भिक शेष उपयोग की गई रसीदें तथा अन्तिम शेष इत्यादि नहीं की जा सकी। स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव न करने के फलस्वरूप रसीद बुकों के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अब तक प्राप्त रसीद बुकों व इनके उपयोग तथा

शेष पड़ी रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24 छात्रों से प्राप्त फीस को जुर्माना निधि में जमा करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से प्राप्त फीस को पहले जुर्माना निधि में जमा करने के उपरान्त उसे चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा किया गया, जबकि नियमानुसार छात्रों से प्राप्त फीस एकत्रित करने के उपरान्त संस्था की रोकड़ वही में दर्ज करके चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा किया जाना था अतः त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

25 चालान से जमा फीस का सरकारी कोष कार्यालय से मिलान न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रो से प्राप्त प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, विलम्ब शुल्क, शैक्षणिक शुल्क तथा छात्रावास शुल्क चालानों के माध्यम से जमा करवाये गये परन्तु इस राशि का जिला कोष कार्यालय से मिलान नहीं किया गया जोकि लेखॉकन प्रक्रिया की त्रुटि को दर्शाता है तथा जमा राशियों की आवश्यक पुष्टि भी नहीं होती। इस प्रकार की त्रुटि अपने आप में एक गम्भीर मामला है तथा इससे किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त प्रकार की जमा राशियों का मिलान जिला कोष कार्यालय से करवाकर त्रुटि को सुधारा जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

26 समस्त छात्र निधियों को एक ही रोकड़ वही में निधिवार वर्गीकृत कालम तैयार करके समाहित न करनाः–

छात्र निधि लेखा की जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा प्रत्येक छात्र निधि की रोकड़ वही व बचत खाता पृथक–2 तैयार/खोला गया है जिसे अनावश्यक रूप से कार्य को बढ़ाया गया है और समस्त निधियों की एक ही स्थान पर स्थिति स्वतः स्पष्ट भी नहीं होती। अंकेक्षण का सुझाव है कि संस्था एक ही रोकड़ वही में निधिवार वर्गीकृत कालम तैयार करके इसे स्वतः स्पष्ट रूप में लेखाकिंत करके तदानुसार ही बैंक खाता में राशि जमा की जाये।

27 <u>**लधु आपति विवरकणः—**</u> यह अलग से जारी नहीं की गई।

28 <u>**निष्कर्षः—**</u> लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एलए0)एच(2)सी(15)(xi)(i)20/75 खण्ड—6 दिनांक, 23.9.2013, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय संजौली तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।
2. प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171002.
3. निदेशक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—171001
4. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा........................

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.